क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश लिखाया जाने पर
	30.10.17	अनुपस्थित होने से [illegible]
	31.10.17	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगाई गई वकील स्वयं या उनके ~~वकील~~ प्रतिवादी वकील दोनों अनुपस्थित वादी तथा प्रतिवादी स्वयं भी उपस्थित नहीं आये। कई बार आवाज लगाये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आये। अतः प्रकरण अग्रिम हाजरी आने तक मे लम्बित किया जाता है। प्रकरण नम्बर ले कर होकर दाखिल दफ्तर हो। (रवि विजय) अति. [illegible] शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)